कार्यालय मुख्य अभियन्ता(स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग,रायपुर रोड,उत्तराखण्ड–देहरादून।

पत्रांकः– 2196 /ग्रा0नि0वि0/लेखा–दो–निविदा/2018–19/ दिनांकः 25 :अक्टूबर : 2018.

समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **निर्माण कार्यों की निविदाओं के सम्बन्ध में।**

दिनांक 27 एवं 28.09.2018 को मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) के कार्यालय सभागार में समस्त अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निर्माण कार्यों की निविदाओं हेतु रखी जाने वाली शर्तों के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से विभाग के अन्तर्गत निर्माण कार्यों हेतु आमन्त्रित की जाने वाली निविदा शर्तें संलग्न विवरण के अनुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया, तथा यह भी सहमति दी गयी कि आमन्त्रित की जाने वाली निविदाओं की इन शर्तों में अग्रिम आदेशों तक अपने स्तर से कोई संशोधन नहीं किया जायेगा, ताकि विभाग में निविदा शर्तों में एकरूपता बनी रहे एवं किसी स्तर पर निविदाओं में अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

निम्नलिखित शर्तें रू0 25 लाख व अधिक लागत के सिविल निर्माण कार्यों पर लागू होंगीः–

1. ऐसे ठेकेदार जो पूर्व में विभाग में कार्य कर रहे हैं और वे अनुबन्ध की शर्तानुसार कार्य पूर्ण करने में असमर्थ रहे हैं, उनके कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप न रही हों और कार्य पूर्ण करने में अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं, उन्हें पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए निविदाओं में प्रतिभाग करने से वंचित रखा जा सकता है।
2. रू0 25.00 लाख की लागत से अधिक के कार्य ई–टैण्डरिंग से किये जायें।
3. कार्य पूर्ण करने की अवधि अधिशासी अभियन्ता, कार्यस्थल का पूर्ण विश्लेषण कर,धनराशि प्राप्त होने में लगने वाले समय,कार्यस्थल की भौगोलिक परिस्थितियॉ,ग्राहक विभाग से एम0ओ0यू0 के अनुसार ही निर्धारित करें।
4. अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से आमन्त्रित निविदाओं में टैक्निकल बिड एवं फाइनैन्सियल बिड पृथक–पृथक खोलें एवं दोनों के मध्य कम से कम तीन दिन का अन्तराल भी रखें ताकि किसी ठेकेदार की जिज्ञासा का समाधान भी किया जा सके।

अतः आपको उक्त निविदा शर्तों की प्रति/प्रारूप 1,2 इस निर्देश के साथ संलग्न की जा रही हैं कि अपने स्तर पर आमन्त्रित निविदाओं में उक्त शर्तों का प्राविधान सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

25/10/18
मुख्य अभियन्ता(स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड–देहरादून।

पत्रॉक एवं दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।

2– मुख्य अभियन्ता(स्तर–2), ग्रामीण निर्माण विभाग,नैनीताल(स्थित भीमताल)।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता(स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड–देहरादून।

Scanned with CamScanner

"निविदा की शर्ते"

1– उपरोक्त कार्यों हेतु निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा डालने के पात्र होगें।

2– सशर्त/अपूर्ण या ऐसी निविदा जिसमें कार्य सम्पादन कराने पर कार्य की गुणवत्ता खराब होने की सम्भावना प्रतीत हो, को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3– ई–निविदा प्रपत्र वैबसाईट www.uktender.gov.in पर दिनांक.................को...................बजे से दिनांक.................. को......... बजे तक उपलब्ध रहेगें तथा निविदा उक्त वैबसाईट से down load कर प्राप्त की जा सकती है। उक्त ई–निविदा में सम्मिलित होने के लिए ठेकेदार के पास आंकिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डी0एस0सी0) होना आवश्यक है, जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बनाये जा सकते हैं। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपरोक्त वैबसाईट से प्राप्त की जा सकती है।

4– धरोहर धनराशि 25.00 लाख तक के कार्य हेतु 3 प्रतिशत एवं इससे अधिक लागत हेतु 2 प्रतिशत परन्तु न्यूनतम 75000.00 धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/डाकघर की सावधि पासबुक/बैंक की एफ0डी0आर0 जो कि अधीक्षण अभियन्ता,/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल./प्रखण्ड..................... के नाम बन्धक हो, मान्य होगी।

5– निविदा में मदवार (Item wise)दरें ही मान्य होगी, जो शब्दों व अंको में स्पष्ट अंकित होनी चाहिए। डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 के अनुरूप भवनों के कार्य में दरें अन्य सभी करों सहित एवं जी0एस0टी0 सहित होनी चाहिए एवं मार्गों के कार्य में दरें अन्य सभी करों सहित परन्तु बिना जी0एस0टी0 के होनी चाहिए।

6– किसी एक अथवा समस्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

7– निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दिनांक......................... से पूर्व किसी भी कार्य दिवस को ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल/प्रखण्ड कार्यालय.............................. से प्राप्त की जा सकती है, साथ ही निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल का पूर्ण निरीक्षण कर समस्त जानकारी एकत्र कर लेवें।

8– निविदादाता को निविदा प्रपत्रों की लागत मय जी0एस0टी0 मूल्य का डिमान्ड ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड........................... के नाम निर्गत एवं Payable at............................ हो, बनाकर संलग्न करना होगा।

9– निविदा की दरें स्वीकृत प्राक्कलन की दरों से 5 प्रतिशत से अधिक कम होने पर शासनादेश संख्या–6447/III (2) II-20 (सा0)/11 दिनांक 2.1.2013 के अनुसार अतिरिक्त परफॉरमेन्स सिक्योरिटी जमा करनी होगी।

10– पी0डब्लू0डी0 में प्रचलित शासनादेश संख्या–120/III (2) 2014/20 (सामान्य) /2011 दिनांक 8 जनवरी 2014 के द्वारा जारी जी0पी0डब्लू0–9 की शर्तें जैसे डिफैक्ट लाइबिलिटी, माइल स्टोन आदि अन्य प्रविधान लागू होगें।

11– समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आयकर/जी0एस0टी0/रायल्टी/सैस एवं अन्य कटौतियॉ नियमानुसार ठेकेदार के बीजक से की जायेंगी।

12– यदि शासन द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं या उक्त कार्य को स्थगित किया जाता है तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य को रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार, किये गये कार्य के लिए ही भुगतान का दावेदार होगा तथा अवशेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

13– निविदा स्वीकृत होने की दशा में ठेकेदार को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में अनुबन्ध गठित कराना होगा। ठेकेदार द्वारा अकारण विलम्ब करने की स्थिति में विभाग द्वारा जमानती राशि जब्त भी की जा सकती है।

क्रमशः–2

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

14– कार्य का अनुबन्ध गठित हो जाने के पश्चात ठेकेदार/फर्म को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विभागीय मानक, विशिष्टियों के अनुसार एवं अधिशासी अभियन्ता/वर्क इन्चार्ज के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

15– निर्माण कार्य हेतु धनराशि किस्तों में प्राप्त होने की दशा में कार्य हेतु प्राप्त धनराशि के उपभोग होने के 04 मांह उपरान्त भी शेष धनराशि प्राप्त न होने की स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार अपने अनुबन्ध को अन्तिमीकरण करवाने हेतु स्वतन्त्र होगा।

16– उक्त कार्य के सम्पादन हेतु विभाग द्वारा ग्राहक विभाग से एम0ओ0यू0 किया गया है, जिसमें कार्यो को पूर्ण करने हेतु अवधि निर्धारित की गयी है। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने पर अर्थदण्ड का प्राविधान है। अतः अनुबन्धकर्ता ठेकेदार/फर्म द्वारा यदि कार्य समय से पूर्ण नही किया जाता है तो निर्धारित अर्थदण्ड की वसूली ठेकेदार से की जायेगी।

17– कार्य पर विवाद की स्थिति में विवाद क्षेत्र जनपद.............................. होगा।

18– ई–निविदा में प्रतिभाग पर वैबसाईट में तकनीकी खराबी आदि से होने वाली कठिनाई हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। यदि निर्धारित तिथि को सर्वर में खराबी अथवा सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के कारण निविदा नहीं खोली गयी तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।

19– निविदादाता को टैकनिकल बिड खोलने हेतु अर्ह होने के लिये दिनांक......................... को...................... बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निम्न प्रपत्रों सहित (क्र0सं0 **A** से **D** तक) मूल रूप में उपलब्ध कराना/टैंडर बाक्स में डालना अनिवार्य है तथा निम्न सभी प्रपत्रों (क्र0सं0 **A** से **M** तक) को स्कैन के उपरान्त वैबसाईट www.uktender.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा को टैक्नीकल बिड खोलने हेतु क्वालिफाई नहीं माना जायेगा।

<u>उपरोक्त क्रमांक–19 हेतु प्रपत्रों का विवरण :–</u>

(A) धरोहर धनराशि जो अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल/प्रखण्ड...................... के नाम बन्धक।

(B) निविदा प्रपत्र की लागत मय जी0एस0टी0 मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड... के नाम निर्गत एवं Payable at.......................

(C) निविदा में दी गई दरों की वैधता हेतु 100.00 रूपये के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर 1.00 रू0 का रेवेन्यू टिकट मय हस्ताक्षर घोषणा पत्र (प्रारूप–1)

(D) निविदा हेतु दिये गये समस्त प्रपत्रों की सत्यता (Correctness of information) हेतु 100.00 रू0 के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी युक्त शपथ–पत्र (प्रारूप–2)

(E) विभाग में पंजीकरण एवं नवीनीकरण की प्रति।

(F) निर्धारित पैन कार्ड की प्रति।

(G) जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन की प्रति।

(H) पावर ऑफ एटोर्नी (यदि लागू हो)।

(I) पार्टनशिप डीड (यदि लागू हो)।

(J) पिछले तीन वर्षो का आयकर रिटर्न।

(K) विभाग में चल रहे वर्तमान कार्यों का विवरण (यदि लागू हो) जिसमें कार्य का नाम, अनुबन्धित लागत, अनुबन्ध सं0, दिनांक, कार्य प्रारम्भ की तिथि, कार्य समाप्ति की तिथि, अब तक भुगतान, अन्य विवरण अंकित हो।

(L) निविदा दाता द्वारा विगत 5 वर्षो के दौरान किसी एक वर्ष में प्राप्त भुगतान की राशि/टर्नओवर के बराबर धनराशि/लागत के कार्य जिसमें से न्यूनतम् 50 प्रतिशत सिविल इन्जीनियरिंग निर्माण कार्यों की लागत हो,हेतु निविदा दी जा सकेगी। टर्नओवर का स्टेटमैन्ट सी0ए0 द्वारा प्रमाणित ही मान्य होगा।

क्रमशः–3

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(M) उक्त कार्य की निविदा हेतु वही ठेकेदार अधिकृत होगें जिन्होने किसी भी विभाग में विगत पांच वर्षों में निर्माण कार्य की अनुमानित धनराशि के 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर का उसी प्रकृति का कार्य अनुबन्ध के माध्यम से सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण किया गया हो। इस हेतु सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता स्तर का) द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

20— टैक्निकल बिड क्वालीफाईड करने वाले ठेकेदारों की ही फाइनैनसियल बिड खोली जायेगी।

निविदा आमन्त्रण अधिकारी

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner